

बिहार सरकार,  
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02/2025

- 60 - (एनए)

/खाद्य,पटना, दिनांक-13-02-2026

प्रेषक,

मो० नैय्यर इकबाल  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,  
सुपौल, रोहतास (सासाराम), पूर्णिया, नावादा एवं लखीसराय, बिहार।

विषय:- मांग सं०-18 के मुख्य शीर्ष-3456 सिविलपूर्ति, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष-0004 पी० डी० एस० सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड 18-3456001020004 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु कुल रुपये 49,41,268/- (उनचास लाख एकतालिस हजार दो सौ अड़सठ) मात्र के आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु प्रावधानित राशि से वित्त विभाग के पत्रांक-235 दिनांक-01.04.2025, पत्रांक-227/वि० दिनांक-28.03.2025 एवं पत्रांक-2561/वि० दिनांक-17.04.1998 में निहित निदेशों के अनुपालन में आवश्यकतानुसार/ नियमानुसार व्यय करने हेतु कुल रुपये 49,41,268/- (उनचास लाख एकतालिस हजार दो सौ अड़सठ) मात्र को आवंटित करते हुए व्यय करने की अनुमति दी जाती है।

क्र०	इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय-व्यय उपबंध	वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु पुनरीक्षित उपबंध	वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु आवंटित राशि
1	0004 28 02 संविदा सेवाएँ	25,58,16,000	25,43,24,000	49,41,268

2. यह राशि मांग सं०-18 के मुख्यशीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-102 सिविल पूर्ति योजना, उपशीर्ष-0004 पी० डी० एस० सिस्टम के कम्प्यूटरीकरण, विपत्र कोड सं०-18-3456001020004 के विषयशीर्ष 0004.28 02 संविदा सेवाएँ के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में विकलनीय होगी, जो निम्नवत है :-

क्र०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	जिला पदाधिकारी, सुपौल	2,33,460
2	जिला पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम)	7,20,000
3	जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ	2,72,808
4	जिला पदाधिकारी, नवादा	34,00,000
5	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	3,15,000
कुल योग		49,41,268

3. जिला पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अनुमण्डल आपूर्ति कार्यालयों को अपने स्तर से उपावंटन निर्गत करेंगे तथा उसकी सूचना विभाग तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को भी देंगे।
4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में सम्बद्ध कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से भुगतान की जायेगी।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह में निकासी एवं व्यय की गयी राशि की इकाईवार विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए वे पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
6. संबंधित जिला अन्तर्गत स्वीकृत पद के विरुद्ध कार्यरत कार्यपालक सहायकों को मानदेय राशि का भुगतान कार्यपालक सहायको के तैयार पैनल से संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायको/डाटा इन्ट्री ऑपरेटरो को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (सामान्य प्रशासन विभाग) के पत्रांक-206 दिनांक-29.01.2024 द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान किया जायेगा।

विश्वसभाजन,

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02/2025 - 60 (खज) खाद्य,पटना, दिनांक-13-02-2024/13/2/24  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02/2025 - 60 (खज) खाद्य,पटना, दिनांक-13-02-2024/13/2/24  
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02/2025 - 60 (खज) /खाद्य,पटना, दिनांक-13-02-2024/13/2/24  
प्रतिलिपि:-संबंधित जिला आपूर्ति पदाधिकारी/संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-प्र5(2)बजट-(आवंटन)-02/2025 60 (खज) /खाद्य,पटना, दिनांक-13-02-2024/13/2/24  
प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रशाखा-01 एवं आई0 टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव।

13/2/24